(4) विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही
पदोन्नति दी जाएगी।

(5) यह शर्त पदोन्नति-समिति की सिफारिश पर
लागू होगी।

(6) शर्तों का पालन नहीं करने पर पदोन्नति
रद्द की जा सकती है।

(7) पदोन्नति के बाद कर्मचारी को 2 वर्ष
तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(8) पदोन्नति के बाद कर्मचारी को 3 वर्ष
तक उसी पद पर रहना होगा।

(9) पदोन्नति के बाद कर्मचारी को 5 वर्ष
तक उसी पद पर रहना होगा।

(10) पदोन्नति के बाद कर्मचारी को 10 वर्ष
तक उसी पद पर रहना होगा।

(11) पदोन्नति के बाद कर्मचारी को 15 वर्ष
तक उसी पद पर रहना होगा।